09082024-Cha-11_27DT02A.qxd 8/8/2024 10:37 PM Page 1

पीजीआई में हड़ताल से मरीज परेशान, ऑपरेशन भी नहीं हुए

यूनियन ने दी चेतावनी, मांगें पूरी हों अन्यथा हड़ताल रहेगी जारी

एस. अग्निहोत्री/हप्र
मनीमाजरा (चंडीगढ़), 8 अगस्त

ट्राईसिटी समेत उत्तर भारत के लोगों के उपचार का एकमात्र सहारा पीजीआई में बृहस्पतिवार को 4 हजार से अधिक कांट्रेक्ट पर कार्यरत कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से मरीजों को उपचार करवाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस दौरान ऑपरेशन की डेट वाले मरीजों की सर्जरी भी नहीं हो पायी।

जानकारी के मताबिक हड़ताल के दौरान ओपीडी से लेकर इमरजेंसी और वार्ड में स्थिति खराब रही। ओपीडी में मरीजों के कार्ड न बनने से लोग भी गुस्से में नजर आए। रिसेप्शन काउंटर, शुल्क काउंटर खाली पड़े रहे। डॉक्टर रूम के बाहर अटेंडेंट न होने से डॉक्टरों को भी परेशानी हुई। ओपीडी में मरीजों के कार्ड डॉक्टर के कमरे तक नहीं पहुंच पाए। वहीं मरीज को ब्लड सैंपल देने एवं दूसरी जांच करवाने जैसे कामों में परेशानी का सामना करना पड़ा।

वहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अश्वनी कुमार मुंजाल का कहना है कि पीजीआई प्रशासन की तरफ से उनकी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। चार महीने से पीजीआई प्रबंधन व स्वास्थ्य मंत्रालय गरीब ठेकाकर्मियों का मजाक उड़ा रहा है। इसलिए सभी अनुबंधकर्मी हड़ताल पर हैं।

पुलिस ने जोर जबरदस्ती की तो कर्मचारी जेल भरो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे।

कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से पीजीआई में ओपीडी, वार्ड, ओटी और इमरजेंसी की व्यवस्था चरमरा गई। इससे पहले जून में भी अनुबंधकर्मियों ने एक दिन की हड़ताल की थी। हड़ताल से सबसे ज्यादा परेशानी मरीज को झेलनी पड़ी थी।

ओपीडी से लेकर वार्ड, इमरजेंसी, ओटी, ट्रॉमा सेंटर तक हर जगह कार्य बाधित रहा। जिन मरीजों को पहले से ऑपरेशन की डेट दी गई थी, उनकी सर्जरी भी समय पर नहीं हो सकी, वहीं ओपीडी में इलाज कराने आए मरीजों को डॉक्टरों तक पहुंचने में काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी।

पीजीआई के अनुबंध कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इन कर्मचारियों में अस्पताल अटेंडेंट, सफाई कर्मचारी, रसोई कर्मी, कपड़े धोने वाले कर्मचारी, टेक्नीशियन, सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। इस दौरान वे एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। हड़ताल की घोषणा से पहले बुधवार की शाम केंद्रीय उप श्रम आयुक्त के सामने दोनों पक्षों में सुलह वार्ता हुई थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था।

चंडीगढ़ में बृहस्पतिवार को पीजीआई में कांट्रेक्ट कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों को उपचार करवाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। -दैनिक ट्रिब्यून

हड़ताल अनैतिक और अनुचित : निदेशक

पीजीआई में आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर पीजीआई के निदेशक प्रो. विवेक लाल ने जनता से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि पीजीआई जैसे अस्पताल में हर रोज हजारों मरीज अपना इलाज करवाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से भी आते हैं। ऐसे अस्पताल में हड़ताल करना अनैतिक और अनुचित है। सात से अधिक राज्यों के रोगियों की सेवा करने वाले पीजीआई की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है। प्रो. लाल ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जहां संभव हो, ऑनलाइन पंजीकरण सेवाओं का उपयोग करें। नियमित कर्मचारियों को जुटाया गया है और प्रोजेक्ट सारथी के 37 समर्पित स्वयंसेवक और विश्व मानव रूहानी केंद्र और सुख फाउंडेशन जैसे गैर सरकारी संगठनों के कई अन्य लोग संचालन को बनाए रखने में सहायता कर रहे हैं।

प्रशासन ने नहीं भेजा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए केंद्र को कोई प्रस्ताव

मनीमाजरा (चंडीगढ़), 8 अगस्त (हप्र)

यूटी प्रशासन की ओर से मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं सौंपा गया है। यह जानकारी बृहस्पतिवार को लोकसभा में सांसद मनीष तिवारी की ओर से चंडीगढ़ में प्रस्तावित मेट्रो के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने दी। इस जवाब से स्पष्ट है कि प्रस्तावित मेट्रो प्रोजेक्ट में यूटी के हिस्से के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई वित्तीय मंजूरी नहीं दी गई है। तिवारी ने सवाल पूछा था कि चंडीगढ़ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है और कितनी राशि का उपयोग किया गया है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज (राइट्स) ने अल्टरनेटिव एनालिटिकल रिपोर्ट (एएआर) में ट्राइसिटी के सभी रास्तों पर ट्रैफिक के दबाव की स्टडी की है। इसके बाद ही बताया गया है कि मध्य मार्ग पर रेल आधारित मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमटीएस) की जरूरत है। राइट्स ने एएआर में चंडीगढ़ में दो कोच की मेट्रो चंडीगढ़ ट्राइसिटी में चलाने की सिफारिश की है।

लोकसभा में सांसद ने मेट्रो को लेकर पूछा था सवाल, आया जवाब

खबर है...

स्कूल में फुटबॉल, हैंडबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित

चंडीगढ़ (ट्रिब्यू) : ट्रिब्यून स्कूल के खेल विभाग ने फुटबॉल और हैंडबॉल में छात्रों के लिए अंतर सदनीय प्रतियोगितायें आयोजित की। हैंडबॉल लड़कियों की अंडर-17 श्रेणी में 48 लड़कियों ने भाग लिया और शंकराचार्य हाउस विजयी हुआ। फुटबॉल लड़कों की अंडर-17 श्रेणी में 48 लड़कों ने भाग लिया और विश्वामित्र हाउस ने जीत हासिल की। प्रिंसिपल श्रीमती रानी पोद्दार ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

ठप पड़ा है गांवों का विकास : प्रदीप चौधरी

रायपुरानी (निस) : कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी ने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव जयंतीपुर, मुरादनगर, हंगौली, भांवली, भागपुर, प्यारेवाला, रायपुरानी सहित विभिन्न गांव का दौरा किया। कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी साथ मौजूद रहे। चौधरी ने कहा कि भाजपा के लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। गांवों का विकास ठप पड़ा हैं। बिजली-पानी की समस्या गंभीर बनी हुई हैं। इस मौके पर विजय मोहन, नरेन्द्र, मास्टर ज्ञान व अन्य साथ रहे।

'हर घर तिरंगा' अभियान 11 से

भाजपा 70 हजार राष्ट्रीय ध्वज घर-घर जाकर करेगी वितरित

मनीमाजरा (चंडीगढ़), 8 अगस्त (हप्र)

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाने की योजना बनाई है। इस अभियान के तहत भाजपा 70 हजार राष्ट्रीय ध्वज घर-घर वितरित करेगी।

यह अभियान 11 अगस्त से शुरू होगा और भाजपा के सभी मंडल इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर तिरंगा वितरित करेंगे और अभियान के दौरान जश्न मनाएंगे।

भाजपा अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी भारत माता से जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हम लोगों को इसके माध्यम से अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

यह राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पार्टी महासचिव अमित जिंदल को अभियान का संयोजक बनाया गया है। जबकि उपाध्यक्ष शक्ति देवशाली और देवेंद्र सिंह बबला सहसंयोजक होंगे। इस मौके पर प्रदेश सचिव संजीव राणा और डॉ. धरिंदर तायल भी उपस्थित थे। सोनिया दुग्गल, परवीन नारंग बंटी, अभय झा समेत अन्य नेता भी इस अभियान का हिस्सा हैं।

पंचकूला में 11 को पैदल तिरंगा यात्रा

पंचकूला (हप्र) : भाजपा ने हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाने का फैसला किया है। अभियान की तैयारियों को लेकर जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। 50 हजार घरों पर तिरंगा झंडा लहराने का लक्ष्य रखा गया और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी तय की गईं। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, महापौर कुलभूषण गोयल, प्रदेश सहकोषाध्यक्ष वीरेंद्र गर्ग भी मौजूद रहे। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जिला के हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि 11 अगस्त को पैदल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा शहीद भगत सिंह चौक से शुरू होगी और शहीद मेजर संदीप सांखला चौक पर संपन्न होगी।

चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की सजा

मोहाली, 8 अगस्त (हप्र)

चेक बाउंस के एक मामले में अदालत अदालत ने दोषी बलजोत सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई। दोषी को इस मामले में शिकायतकर्ता को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं दोषी को राशि का भुगतान करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।

अगर उसने तय समय पर राशि का भुगतान नहीं किया तो उसकी दो महीने की सजा बढ़ जाएगी। आरोपियों के खिलाफ सेक्टर-123 न्यू चंडीगढ़ एनक्लेव के रहने वाले रमनप्रीत सिंह ने अदालत में याचिका दायर की थी। रमनप्रीत सिंह ने अपनी शिकायत में कहा था कि बलजोत सिंह उसका दोस्त था जिसे वह 10 साल से जानता था। आरोपी बलजोत सिंह ने शिकायतकर्ता से 26 दिसंबर 2018 को 12 लाख रुपये मित्रवत ऋण इस शर्त पर लिया था कि वह दो साल के भीतर ब्याज सहित राशि वापस कर देगा। इसके बाद दोषी ने फिर से जुलाई 2019 के महीने में शिकायतकर्ता से 1.90 लाख रुपये की राशि ली।

सभी प्रमुख मांगों को जल्द किया जाए पूरा : सिख फोरम

अम्बाला शहर, 8 अगस्त (हप्र)

हरियाणा सिख फोरम ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के सिख व पंजाबी समाज में भाजपा के प्रति गहरा रोष है। अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिखों व पंजाबियों की गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी सहित सभी प्रमुख मांगों को पूरा ना किया तो विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। फोरम के अध्यक्ष जसदीप सिंह बेदी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2014 फिर 2017 में गुरु गोबिंद सिंह जी के 350 साला प्रकाश पर्व पर करनाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अम्बाला में सिख स्मारक बनाए जाने की घोषणा भी की थी। उसको भी पूरा नहीं किया गया है। इसके साथ ही अब अम्बाला में बन रहे घरेलू हवाई अड्डा का नाम बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहब के नाम पर रखे जाने की मांग भी लगातार जोर पकड़ती जा रही है। प्रदेश में लम्बे समय से पंजाबी भाषा के अध्यापकों की भर्ती नहीं की गई है।

बेटी की हत्या की आरोपी मां फरार, सहआरोपी को भेजा जेल

मोहाली (हप्र) : गांव श्यामपुर में सगी मां ने अपने जेठ के साथ मिलकर अपनी 13 साल की नाबालिग लड़की प्रीत कौर की सल्फास खिलाकर हत्या कर दी थी। इस हत्या की मुख्य आरोपी मृतका की मां अंग्रेज कौर अभी भी फरार है। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस मामले में सह आरोपी जगतार सिंह (जेठ) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था जोकि दो दिन के पुलिस रिमांड पर था। आरोपी को पिछला रिमांड खत्म होने के बाद आज दोबारा से मोहाली अदालत में पेश किया जहां अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोहाना थाने में मामला दर्ज किया गया है।

घर में मृत मिले पिता - पुत्र, पुलिस जांच में जुटी

मनीमाजरा (चंडीगढ़) (हप्र) : सेक्टर-20 में पिता-पुत्र कथित रूप से संदिग्ध परिस्थितियों में घर में मृत मिले। सेक्टर 19 थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस घटना के बारे में पुलिस कंट्रोल रूम पर एक फोन आया कि घर में वे दोनों ही रहते थे। पुलिस मौके पर आई तो दोनों के शव कमरे में बेड पर पड़े थे। पुलिस का कहना है कि मृतक का बाकी परिवार विदेश में रहता है। बेटा लकवा से पीड़ित था। उसका काफी समय से अस्पताल में इलाज चल रहा था। मृतकों की पहचान हरमनप्रीत सिंह (28 साल) और उसके पिता सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। पुलिस मृतक पिता पुत्र के परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह दोनों मकान में अकेले रहते थे। इस कारण परिवार का कोई नंबर नहीं मिल पा रहा है।

pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय का पताः 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110001.

शाखाः पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, चंडीगढ़–एससीओ–323–324, प्रथम तल, सेक्टर 35बी, चंडीगढ़–160035.

कला कार्य :

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) के ग्राहकों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री जसबीर सिंह पुत्र सेवक सिंह अब पीएचएफएल होम लोन्स लिमिटेड (पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की सहायक कंपनी) से जुड़े नहीं हैं। उनके पास रसीद बुक संख्या 50018209 थी, जो ग्राहकों से नकदी एकत्र करने के लिए जारी की गई थी, जिसे उन्हें अपनी कार्यमुक्ति यानी 04.09.2023 की अंतिम कार्य तिथि से पहले कंपनी में वापस जमा कराना था। लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे। इसलिए सभी ग्राहकों को आगाह किया जाता है कि वे पीएनबीएचएफएल या पीएचएफएल होम लोन से संबंधित किसी भी गतिविधि के बारे में श्री जसबीर सिंह से कोई लेन–देन न करें। इसलिए उक्त रसीद बुक अधिकृत प्रतिनिधि के कब्जे में नहीं है और पीएनबीएचएफएल इस रसीद बुक के माध्यम से दर्ज किसी भी लेनदेन के लिए जवाबदेह या जिम्मेदार नहीं होगा।

अधिकृत पात्र
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, चंडीगढ़.

AUTHUM औथम इनवेस्टमैंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

रजि. कार्यालय : 707, रहेजा सेंटर, फ्री प्रेस जर्नल रोड, नरीमन प्वायंट, मुम्बई-400 021,
शाखा कार्यालय : 1-ए, प्रथम मंजिल, गोपाला टावर 25, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008

कब्जा सूचना (सिक्योरिटी इंट्रस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्ज, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार)

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनांशियल एस्सेट्स एंड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रस्ट एक्ट-2002 के तहत औथम इनवेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (''एआईआईएल'') के अधिकृत अधिकारी होने के नाते (रिलायंस कमर्शियल फायनेंस लिमिटेड (''RCFL'') से AIIL को एनसीएलटी के आदेश दिनांक 10.05.2024 द्वारा लैंडिंग बिजनेस के डीमर्जर करने के रिजल्टिंग कंपनी) तथा सिक्योरिटी इंट्रस्ट (इनफोर्समेंट) रूल्ज, 2002 के नियम 3 के साथ पठनीय धारा 13(12) अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा खाते के प्रति दर्शायी तिथि को निम्नांकित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को डिमांड नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें नोटिस प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबद्ध डिमांड नोटिस में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

कर्जदार/सह-कर्जदार राशि का भुगतान करने में असफल रहे। अतः कर्जदारों/सह-कर्जदारों को विशेष रूप में तथा सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दि सिक्योरिटी इंट्रस्ट इनफोर्समेंट रूल्ज 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले उक्त एक्ट की धारा 13(4) के तहत प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित प्रापर्टी का वर्णित तिथि को कब्जा ले लिया गया है।

कर्जदारों/सह-कर्जदारों को विशेष रूप में तथा जनता को सामान्य तौर पर चेतावनी दी जाती है कि वे इस प्रापर्टी संबंधी कोई लेन-देन न करें और इस प्रापर्टी संबंधी कोई भी लेन-देन औथम इनवेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (''एआईआईएल'') के चार्ज पर आधारित होगा।

कर्जदारों/सह-कर्जदारों/मोर्टगेजरों का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्ति को रिडिम करवाने हेतु उपलब्ध समय के संबंध में एक्ट की धारा-13 की उपधारा (8) की व्यवस्थाओं की ओर दिलाया जाता है।

क्रम नं.	लोन खाता नं./कर्जदार/सह-कर्जदार का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	कब्जे की तिथि/कब्जे का स्टेटस	डिमांड नोटिस की राशि (रु.)
1.	RLELKTL000366309/ सूरत सिंह/पवन सिंह तथा अंग्रेजो पवन कुमार	14.02.2024	07-08-2024 Symbolic Possession	Rs. 28,93,255.00/- (Rupees Twenty Eight Lakh Ninety Three Thousand Two Hundred Fifty Five Only) as on 07/02/2024
प्रॉपर्टी का विवरण : प्रॉपर्टी/रिहायशी प्लाट के सभी हिस्से, अब मकान के रूप में , माप 617 वर्ग गज, 01 क-4 म, जोकि 02 क-8 म का 20.4/48 हिस्सा है, खेवट नं. 36 मिन, खतौनी नं. 41 मिन, खसरा नं. 481 (2-4), 817 (-04) में शामिल, जिसकी सीमा है-पूर्व-एमी लाल पुत्र माम चन्द की प्रॉपर्टी, पश्चिम : साधु पुत्र श्री गिरधला की प्रॉपर्टी, उत्तर-माम चन्द पुत्र लक्खी राम की प्रॉपर्टी, दक्षिण-गली शेयर Am-22', चौड़ाई में, गांव चसावला, तहसील कलायत, जिला कैथल में स्थित।				
2.	RLALKNL000336525/ अमित कुमार/वीना नरेश, ईशम सिंह और नरेश मन सिंह	12-02-2024	07-08-2024 Symbolic Possession	Rs. 46,78,080.00/- (Rupees Forty Six Lakh Seventy Eight Thousand Eighty Only) as on 07/02/2024
प्रॉपर्टी का विवरण : सम्पूर्ण मकान, खेवट नं. 345 मिन, खतौनी नं. 460 मिन, गांव बाता, तह. कलायत, जिला कैथल-136027 में।				
3.	RLALKNL000346564/ सपिंदर सिंह/बलविंदर कौर	14-02-2024	07-08-2024 Symbolic Possession	Rs. 30,38,273.00/- (Rupees Thirty Lakh Thirty Eight Thousand Two Hundred Seventy Three Only) as on 07/02/2024
प्रॉपर्टी का विवरण : सम्पूर्ण प्रॉपर्टी/प्लाट 180 वर्ग गज (36X45) अर्थात 5.95 मरले, सीमाएं हैं : उत्तर : गली, दक्षिण : सतनाम सिंह की प्रॉपर्टी, पूर्व : गुरतेज सिंह की प्रॉपर्टी, पश्चिम : विक्रमजीत सिंह की प्रॉपर्टी, जो कि 23 के-11 एम का 5.95/4631 हिस्सा है, खेवट नं. 337 खाता नं. 391 से 395 एरिया 231 के -11एम, मौजा बडसीकरी कलां, तह. कलायत, जिला कैथल।				

दिनांक : 09.08.2024
स्थान : कैथल

DI-10093

अधीकृत अधिकारी,
औथम इनवेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

गांव बसोला के सैकड़ों लोगों ने लगाया जाम

चेतावनी- हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही होगा दाह संस्कार

पिंजौर, 8 अगस्त (निस)

स्थानीय गांव बसोला के सैकड़ों लोग आज थाने में गत सोमवार को हुई हरप्रीत सिंह की हत्या में शामिल महिलाओं सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग लेकर आए थे। थोड़ी देर बाद वे थाने से निकले और पिंजौर-कालका पुराने नेशनल हाईवे पर बैठकर जाम लगा दिया।

जाम लगाने वालों में मृतक हरप्रीत की पत्नी बेअंत कौर, गांव के लोग और उनके बच्चे भी थे। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव का दाह संस्कार न करने और जाम न खोलने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर जाम लगभग डेढ़ घंटे तक लगाया। तभी कालका विधायक प्रदीप चौधरी, शिवालिक विकास बोर्ड के पूर्व सदस्य हर्ष चड्ढा, नरेश मान, आप जिलाध्यक्ष रणजीत उप्पल सहित अन्य लोग भी धरने पर पहुंचकर सड़क पर बैठ गए। सोमवार को हरप्रीत सिंह और उसके भतीजों पर हथियारों से हमला करने के आरोप में पुलिस ने मंगलवार को 7 आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया था। विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि जब पीड़ितों ने शव का दाह संस्कार नहीं किया तब जाकर पुलिस हरकत में आई। जबकि 4 दिनों में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। पुलिस को दी सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट तौर पर महिलाएं भी हथियारों के साथ नजर आ रही हैं। मृतक हरप्रीत की पत्नी बेअंत कौर ने बताया उसका सबसे छोटा बेटा 3 वर्ष का है। पुलिस को सबूत भी दिए। इसके बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। जब तक आरोपी आजाद रहेंगे तब तक उनके परिवार के सदस्यों की जान को खतरा है।

पिंजौर-कालका पुराने हाईवे पर थाने के सामने जाम लगा कर सड़क पर बैठे विधायक प्रदीप चौधरी एवं ग्रामीण। -निस

अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी बुलाई

जाम लगने के बाद पिंजौर पुलिस सहित आसपास की पुलिस फोर्स को भी बुला लिया गया। डिप्टी एसपी सुरेंद्र ने प्रदर्शनकारियों से जाम खोलने का आग्रह किया लेकिन प्रदर्शनकारी आरोपियों को गिरफ्तार करने तक जाम न खोलने और दाह संस्कार न करने की बात पर अड़े रहे। डिप्टी एसपी जोगिन्द्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि वह कल शाम 6 बजे तक फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे 2 गिरफ्तार हैं। पीड़ित बेअंत कौर ने कहा कि आज दाह संस्कार नहीं करेंगे। कल तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो शव को नेशनल हाइवे पर रखकर जाम लगाएंगे।

कॉलेज में लगाए पौधे

अम्बाला (हप्र) : गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज के प्रांगण में प्राचार्य डॉ.रोहित दत्त की अध्यक्षता में एनसीसी गर्ल्स विंग द्वारा पौधे लगाए गए। सीटीओ डॉ. तृप्ति शर्मा ने कैडेट्स से आह्वान किया कि वे अपने घर आंगन में एक एक पौधा अवश्य लगाएं। इससे आए दिन बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण का संतुलन सही किया जा सकता है। इस मौके पर 11 कैडेट्स मौजूद रहे।

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : – 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001 फोन : – 011–23357171, 23357172, 23705414, **वेबसाइट : www.pnbhousing.com**
रोहतक शाखाः– एस.सी.ओ – जी12–ए साई स्क्वायर कॉम्प्लेक्स, शीला बाईपास रोहतक–124001। **करनाल शाखाः**– एससीओ 218–219, दूसरी मंजिल, सेक्टर 12, भाग 1, सिटी सेंटर हुडा, करनाल–132001

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहा है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतदेद्वारा कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) ($)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/ न्यायालय मामला, यदि कोई. (के)
NHL/RTK/0719/730614, बी.ओ.: रोहतक, अमित सिंगल, श्रीमती रीना सिंघल और श्रीमती उर्मिला	11.10.2023 तक रु. 4083664.73	भौतिक कब्जा	मकान नंबर 483, वार्ड नंबर 34, आईडी 224C2212U174, जनता कॉलोनी, झज्जर रोड के पास, काठ मंडी, रोहतक, हरियाणा–124001 87 वर्ग गज क्षेत्रफल, श्रीमती उर्मिला के पक्ष में ट्रांसफर डीड–रेत्त संबंध वसीका नंबर 11794 दिनांक 29.12.2017 और बंधक विलेख दस्तावेज नंबर 10592 दिनांक 24.09.2019 पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में।	रु. 7097000	रु. 709700	11.09.2024	रु. 20,000	22.08.2024 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	12.09.2024 पूर्वा. 12.30 बजे से अप. 02:30 बजे	अज्ञात
HOU/KAR/1216/338198, बी.ओ.: करनाल, विक्रम सिंह, बचना राम पुत्र फग्गू राम	24.07.2021 तक रु. 1306287	भौतिक कब्जा	गंगा नगर कॉलोनी में स्थित मकान, संपत्ति आईडी नंबर 102C661U130, खसरा नंबर 51//2/2, जगाधरी, यमुना नगर, हरियाणा, भारत, 135003 भूमि का क्षेत्रफल 71.66 वर्ग गज शीर्षक विलेख संख्या 9781 दिनांक 8–03–2017 विक्रम सिंह पुत्र बचना राम के पक्ष में सीमाएं: उत्तर–स्ट्रीट, दक्षिण मोहन सिंह की संपत्ति, पूर्व–मोहन सिंह की संपत्ति, पश्चिम– पाला राम की संपत्ति	रु. 1101000	रु. 110100	23.08.2024	रु. 10,000	12.08.2024 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	24.08.2024 पूर्वा. 12.30 बजे से अप. 02:30 बजे	अज्ञात
HOU/KAR/1217/467125, बी.ओ.रू करनाल, सुशील कुमार, सुनीता देवी	18.04.2022 तक रु. 1746482.61	भौतिक कब्जा	वार्ड नंबर 17, विग कॉलोनी, घरौंडा, कश्यप पेंटर वाली गली, तहसील घरौंदा, करनाल हरियाणा–132114 में स्थित प्लॉट, खेवट नंबर 1257, खतौनी नंबर 1561, मुर्राबा नंबर 147, किला नंबर 20 .5/ में शामिल है। रकबा 3 कनाल 12 मरले बकदार 5 मरले (150 वर्ग गज) का 72 भाग, जमाबंदी वर्ष 2010–2011 श्रीमती सुनीता देवी के नाम पर विक्रय पत्र रजि.सं.4299 दिनांक 06/01/2014	रु. 2073000	रु. 207300	23.08.2024	रु. 10,000	12.08.2024 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	24.08.2024 पूर्वा. 12.30 बजे से अप. 02:30 बजे	अज्ञात

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकरी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।

1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है।
2. संभावित क्रेता/बो